न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—375/2018/75 (2018/00375)

1. भंवरलाल पुत्र कालूराम, जाति सांसी, निवासी लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद जरिये मुख्तयारआम संतोष मालावत पुत्री भंवरलाल, जाति सांसी, निवासी राधास्वामी सत्संग भवन, प्राईमरी स्कूल के पास, भगवान गंज, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्**पोडेंट**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 7.7.2015 आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी/15/89 .

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः—24.5.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/15/89 दिनांक 7.7.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद का भूमिहीन कृषक है जिसे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.1975 को ग्राम लोहरवाड़ा स्थित आराजियात वर्किंग खसरा नंबर 3129 रकबा 3—6—00 आधार जमाबंदी खसरा नंबर 1442 रकबा 1.60 है0 में से 0.53 है0, वर्किंग खसरा नंबर 3142 रकबा 4—2—00 आधारभूत नंबर 1412 रकबा 0.66 है0, वर्किंग नंबर 2357 रकबा 0—15—10 आधारभूत नंबर 4203 रकबा 0.13 है0, वर्किंग नंबर 2358 रकबा 15 बिस्वा आधारभूत नंबर 4204 रकबा 0.12 है0 एवं वर्किंग नंबर 2359 रकबा 17 बिस्वा आधारभूत नंबर 4209 रकबा 0.14 है0 आवंटित की जाकर दिनांक 27.11.1975 को मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया एवं सीमाओं बाबत् जानकारी प्रदान कर हल चलवा कर हल्का पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान कब्जा संभलवा दिया गया था तब से अपीलांट उक्त आराजियात पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु बंदोबस्त विभाग ने दौराने बंदोबस्त समस्त आराजियात सिवायचक दर्ज कर दी गई । तत्पश्चात् विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से आदेश दिनांक 7.7.2015 द्वारा खसरा नंबर 1412 रकबा 0.66 है0 भूमि राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.1975 को अपीलांट को आवंटन की जाकर दिनांक 27.11.1975 को अपीलांट को मोके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था एवं सीमाओं बाबत् जानकारी प्रदान कर हल चलवा कर हलका पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान कब्जा संभला दिया गया था तब से विवादित आराजियात पर अपीलांट ही काबिज काश्त चला आ रहा है । उक्त आवंटन आदेश के आधार पर अपीलांट का नाम अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 में अंकित कर दिया गया जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033 से होती है । बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के विवादित आराजियात को सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त गलत इंद्राज के दुरूस्तीकरण हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष राजस्व वाद संख्या 146/2012 पेश किया जो निरस्त होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में अपील पेश की गई जो स्वीकार फरमाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित की गई जिसकी पालना में उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा रिमाण्ड प्रकरण संख्या 146/2012 बउनवानी भंवरलाल बनाम राज0सरकार पुनः दर्ज की गई जो वर्तमान में वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते उक्त आराजियात में से खसरा नंबर 1412 रकबा 0.66 है0 भूमि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 7.7.2015 द्वारा राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु आरक्षित करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है। बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात अपीलांट की खातेदारी आराजियात थी जो त्रुटिपूर्ण इंद्राज से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज की गई है । विवादित आराजियात बाबत् अपीलांट का वाद विचाराधीन होने से विद्वान जिला कलक्टर को विवादित आराजी आरक्षित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 7.7.2015 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 7.7.2015 की पालना में राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित कर ली गई है उक्त रिपोर्ट दिनांक 29.10.2018 को हल्का पटवारी लोहरवाड़ा द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद को प्रेषित की गई । तत्पश्चात् वादपत्र में नियत पेशी पर अभिभाषक को जानकारी हुई जिस पर अभिभाषक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी गई । जानकारी होने पर अपीलांट ने मुख्तयारआम संतोष मालावत ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु आरक्षित की है । वर्तमान में अपीलांट विवादित आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है न ही विवादित आराजियात पर कब्जा काश्त है । विद्वान जिला कलक्टर,

अजमेर के हस्तातंरण आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांट ने सिद्ध नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । चूंकि अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांट को सुना नहीं गया था जिसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारंभ से अपीलांट को होना नहीं माना जा सकता है । न्यायहित में हम अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 7.7.2015 द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 1412 रकबा 0.66 है0 भूमि राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित की है । अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजियात अन्य आराजियात के अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 26.11.1975 को आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया था किन्तु उक्त भूमियां बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकारिता के राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसके संबंध में अपीलांट का विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन है तथा उक्त वाद के विचाराधीन रहते विवादित भूमि आरक्षित की गई है जिससे उक्त आदेश अवैध एवं प्रभावशून्य है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद विचाराधीन है जिसमें अपीलांट को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है इनका निर्धारण बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान में विवादित आराजी खसरा संख्या 1412 रकबा 0.66 है0 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने राजकीय कार्यालय एवं भवन हेतु आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के अपीलाधीन आदेश में क्या त्रुटि है अपीलांट ने यह दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष विचाराधीन वाद में यदि अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त होते है तो अपीलांट उक्तानुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र है परन्तु वर्तमान में विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होने से राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु पारित आरक्षण आदेश विधिसम्मत् होने से इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.7.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर